

अध्यापक शिक्षा परिषद
(एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



पुरपुरतानो धाम
NCTE

DIR Aca
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

राजशिप/अक्षेस/फ-3/


1/0001/5088

दिनांक: 15.09.2000

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत जारी मानदंडों के अनुसार बीपीएड पाठ्यक्रम दो वर्षों की अवधि का है। लेकिन उत्तर क्षेत्रीय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त पाठ्यक्रम की अवधि को मात्र 2000-2001 के लिए एक वर्ष का कर दिया गया है। जिसका आदेश अलग में सभी मंत्रियों को प्रेषित किया गया था। परिषद मानदंडों में बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक छात्र अनुपात 1:1.2 है। मंत्रियों को जो मान्यता आदेश जारी किए गए हैं। उसी अध्यापकों की संख्या पाठ्यक्रम की दो वर्ष का मानने हुए ही लिखी गई है। अतः यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रियों अध्यापक छात्र अनुपात 1:1.2 के परिप्रेक्ष्य में ही अध्यापक नियुक्त को।

R Aca 706
25/9



आज्ञा से
(डा० ए.के. कौशल)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति—
प्राचार्य

सभी सम्बन्धित मंत्रियों।

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. शासन सचिव, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सरकार.
2. कुल पानित, सम्बन्धित विश्वविद्यालय।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली - 110016

[Signature]
क्षेत्रीय निदेशक

Aca. 2/1900
25/9/2000